सहमति से 'संबंध पर कानून लचीला हो

बदलते समाज की सोच पर युवाओं के खिलाफ कानून का इस्तेमाल न हो : कोर्ट

○इब्राहिम अब्बास, एडवोकेट

नई दिल्ली। अदालत ने आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की न्यूनतम तय उम्र सीमा पर कानून निर्माताओं को पुनर्विचार की सलाह दी है। अदालत ने कहा है कि देश के सामाजिक सोच-विचार और व्यवहार में बदलाव आया है। अपहरण के आरोपी एक युवक को बरी करते हुए अदालत ने यह टिप्पणी की है।

मामले के अनुसार अशोक बिहार में रहने वाले कृष्ण कुमार चौधरी के खिलाफ अक्टूबर २००८ में एक लड़की के अपहरण और जबरन शादी के लिए तैयार करने का मुकदमा दर्ज कराया गया था। उसी दिन लड़की को वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र से बरामद कर लिया गया था। जिला न्यायालय रोहिणी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. कॉमिनी लॉ ने कहा है कि आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाने के लिए तय न्यूनतम उम्र सीमा पर कानून बनाने वालों को फिर से विचार करना चाहिए। देश में आर्थिक-सामाजिक स्तर पर सोच-विचार में काफी बदलाव आया है। देश में जो कानूनी प्रक्रिया है, उसे युवाओं के विरुद्ध 'इस्तेमाल' नहीं किया जाना चाहिए। खास कर ऐसे मामलों में जब लड़का-लड़की की उम्र में ज्यादा अंतर न हो और दोनों एक-दूसरे से प्रेम करते हों।

यह है कानून : १६ से १८ वर्ष तक की उम्र में आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाने पर कानूनी कार्यवाही का प्रावधान नहीं। जबकि १६ से कम उम्र में आपसी सहमति से संबंध बनाने पर भी कानूनी कार्यवाही की जाती है।

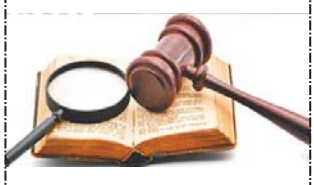

अदालत ने कहा कि इस मामले में ऐसा ही हुआ। आरोपी युवक और युवती दोनों एक-दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन लड़की के पिता की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद मामला दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर लिया गया था।

आरोपी के पिता का कहना है अब दोनो की अलग-अलग जगहों पर शादी हो चुकी है। युवती के पिता की ओर से कोर्ट से आग्रह किया गया था कि उनकी बेटी की गवाही के लिए समन उसके ससुराल के पते पर न भेजा जाए क्योंकि इस घटना की जानकारी ससुरालवालों को नहीं है।❑

हत्यामुक्तों को आजीवन कारावास

○डॉ. एस.के. शर्मा, एडवोकेट

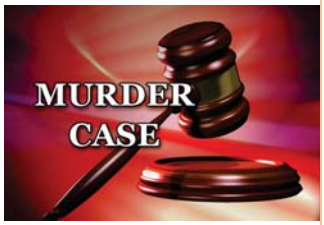

लखनऊ। विशेष न्यायाधीश उ.प्र. गैंगस्टर एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश वी.डी. नकवी ने अभियुक्तगण नीलू उर्फ राम गोपाल व भूरे उर्फ राजेन्द को थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ के अपराध सं०-१६६/२००४ धारा- ३६४,३०२ व २०१ भा०दं०सं० के अन्तर्गत के अन्तर्गत दोषी पाते हुये धारा-३६४ भा०दं०सं० के अन्तर्गत प्रत्येक को दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपये के अर्थ दण्ड एवं धारा-३०२ भा०दं०सं० के अन्तर्गत प्रत्येक को आजीवन कारावास का दण्ड एवं प्रत्येक को दस-दस हजार रुपये के अर्थ दण्ड एवं धारा-२०१ भा०दं०सं० के अन्तर्गत प्रत्येक को पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड एवं तीन-तीन हजार रुपये के अर्थ दण्ड की सजा सुनाई।

अर्थदण्ड की अदायगी न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को ६-६ माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी होगी। सभी सजायें साथ चलेंगी।

विद्वान न्यायमूर्ति ने साक्ष्य पर विचार करते हुए लिखा एवं एक शेर का जिक्र किया- यह कटुसत्य है कि मनुष्य झूठ बोल सकता है किन्तु तथ्य कभी झूठ नहीं बोल सकते। अभियुक्त की निशॉदेही पर बरामद वस्तुऐं आला कत्ल अंगौछा, कपड़े व पर्स पैन्ट, शर्ट, बनियान आदि धारा-२७ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत साक्ष्य में ग्राह्य है और आला कत्ल अंगौछा, कपड़े व पर्स पैन्ट, शर्ट, बनियान, विजिटिंग कार्ड व एलआईसी की रसीदें ये सभी अभियुक्त नीलू उर्फ राम गोपाल व भूरे उर्फ राजेन्द्र के विरुद्ध महत्वपूर्ण साक्ष्य का महत्व रखती हैं। यह सभी तथ्य इसी ओर इशारा कर रहे हैं और क्या गवाही दे रहे हैं इनको एक शेर से कहा जा सकता है कि-

"तेग मुंसिफ हो जहाँ दारौ रसन हो शाहिद,
गुनहगार कौन है उस बस्ती में कातिल के सिवा"

तथा अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

ज्ञात हो कि अभियुक्तों ने मृतक चन्द्रपाल सिंह का उस समय अपहरण कर लिया था जब वह जन्माष्टमी पूजन के कार्यक्रम में गया था तथा बाद में उसकी हत्या कर शव को छिपा दिया था। जिसके सम्बंध में दाण्डिक वाद सं० ५३/२००५ अपराध सं० १६६/०४ के आधार पर चला।❑

गबन के दोषी को पांच साल की कैद

एसजीपीजीआई की रजिस्ट्रेशन फीस में किया था हेरफेर

लखनऊ (ज.आ.)। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में रोगियों से जमा होने वाली रकम का गबन करने के आरोपी लेखा विभाग के सहायक देवेंद्र कुमार विश्वकर्मा को सीजेएम राजेश उपाध्याय ने पांच वर्ष के कठोर कारावास सहित पांच हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।

अभियोजन की ओर से अदालत में तर्क दिया गया कि पीजीआई प्रशासन ने २७ नवंबर १६६८ को मोहनलालगंज थाने में गबन के आरोप की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। चिकित्सालय प्रभारी ने बताया कि लेखा विभाग का सहायक देवेंद्र विश्वकर्मा कैश काउंटर पर रोगियों से पैसा जमा करता था। यह रकम चिकित्सालय के कैश चेस्ट में रखी जाती थी। बताया गया कि देवेंद्र के पास २६ अक्टूबर १६६८ से २ नवंबर १६६८ तक कैश काउंटर से जमा धन कैश चेस्ट में रखा हुआ था।

३ नवंबर को दो घंटे की छुट्टी लेने के बाद देवेंद्र पांच नवंबर को चिकित्सालय आया तो उससे सारी रकम लेखाधिकारी के पास जमा करने को कहा गया। जब रकम का मिलान किया गया तो उसमें ३४,३०७ रुपये कम पाए गए। कैश कम होने पर देवेन्द्र १३ नवंबर से अवकाश पर चला गया था।❑

जुवैनाइल कोर्ट में ताला पर सी.जे.एम. की फटकार

○डॉ. एस.के. शर्मा, एडवोकेट

लखनऊ। तृतीय श्रेणी कर्मचारी के न होने की वजह से किशोर न्याय बोर्ड (जुवैनाइल कोर्ट) में न केवल ताला बंद है बल्कि न्यायिक कार्य भी नहीं हो रहे हैं।

सीजेएम राजेश उपाध्याय ने मामले में कड़ा रुख अख्तियार करते हुए महिला कल्याण के निदेशक को पत्र लिखकर कहा है कि किशोर न्याय बोर्ड में कर्मचारी की नियुक्ति और कार्य सुचारू रूप से शुरू कराना सुनिश्चित करें।

इस संबंध में अधिवक्ता प्रतीक सक्सेना व महेन्द्र सिंह ने सीजेएम को बताया कि मलिहाबाद से संबंधित मारपीट के एक मामले में सुधा (परिवर्तित नाम) का आत्मसमर्पण १७ जुलाई को कराया गया था।

लेकिन, किशोर न्याय बोर्ड में तालाबंदी के चलते जमानत नहीं मिल पा रही है। बताया गया कि तृतीय श्रेणी के कर्मचारी के न आने की वजह से विगत कई दिनों से कार्यालय में ताला बंद है। सीजेएम ने तालाबंदी को न्यायिक अवमानना मानते हुए निदेशक को पत्र लिखकर कहा कि २७ जुलाई को भी पत्र लिखकर कर्मचारी की नियुक्ति करने के लिए कहा गया था लेकिन, अब भी कार्यालय में ताला बंद है। इससे न्यायिक कार्य बाधित हो रहा है। न्याय बोर्ड के सदस्य दिनेश पाण्डेय ने भी इस तालाबंदी के विषय में अवगत कराया है। अदालत ने कहा कि किशोर न्याय बोर्ड विशुद्ध रूप से न्यायिक कार्य करता है और यह किसी भी स्थिति में बंद नहीं किया जा सकता है।❑

मुआवजे से नहीं काटा जा सकता टीडीएस

नई दिल्ली। मुआवजे में मिली राशि को कर योग्य आय नहीं माना जा सकता। शीर्ष उपभोक्ता अदालत ने यह फैसला सुनाया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एनसीडीआरसी) ने भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (एएआइ) को मुआवजे की राशि पर काटे गए टीडीएस को लौटाने का आदेश दिया है। एक दंपत्ति को उनकी बेटी की मौत के मामले में यह मुआवजा दिया गया था।

उपभोक्ता अदालत ने एएआइ को दुबई स्थित इस दंपत्ति को पांच अगस्त, २००५ को २.५ लाख रुपये की राशि मुआवजे के तौर पर देने को कहा था। प्राधिकरण के रखरखाव वाले एस्क्लेटर से गिरने के कारण गीता और परमानंद जेठानी की बेटी की मौत हो गई थी। अदालत ने एएआइ को इस मुआवजे पर काटे गए टीडीएस को वापस करने के निर्देश के अलावा इस मसले को आयकर विभाग के पास भी भेजने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश जेएम मलिक की अध्यक्षता वली पीठ ने कहा कि किसी व्यक्ति की मौत के मामले में दिए गए मुआवजे की तुलना किसी तरह की आय से नहीं की जा सकती। प्रतिवादी काटे गए टीडीएस की रकम नौ फीसद सालाना ब्याज सहित वापस करे। जेठानी दंपत्ति ने एएआइ को २.५ लाख का मुआवजा जारी करने के उपभोक्ता अदालत के फैसले पर टीडीएस के संबंध में दिशा निर्देश जारी कराने के लिए यह याचिका दायर की थी जेठानी की याचिका लंबित होने के बावजूद एएआइ ने उन्हें टीडीएस काटकर ही मुआवजे की भुगतान किया था।❑

एसबीआई अदा करेगी जुर्माना

लखनऊ (ज.आ.)। एटीएम कार्ड चोरी होने के बाद बैंक को सूचना दी। इसके बावजूद कार्ड के जरिए खाते से रकम निकाल ली गई। उपभोक्ता फोरम द्वितीय के अध्यक्ष आरपी पाण्डेय, सदस्य राजेन्द्र कुमार गुप्ता व सीमा भार्गव ने इस मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सेवा में कमी माना है। फोरम ने बैंक को आदेश दिया कि वह परिवादी को रकम निकाले जाने की तिथि से ५५०० रुपये ६ प्रतिशत ब्याज के साथ दे। इसके अलावा मानसिक कष्ट व वाद व्यय के लिए भी ८ हजार रुपये अदा किया जाए।

८वीं बटालियन पीएसी बरेली के हेड कांस्टेबल चन्द्रजीत यादव ने फोरम को बताया कि उनकी डायरी खो गई थी। इसमें एटीएम कार्ड व कोड नम्बर भी था। कार्ड चोरी होने के बाद उसके खाते से ३५ हजार रुपये निकाल लिए गए, जिसके बाद उसने बैंक के नंबर पर फोन करके एटीएम कार्ड चोरी होने व एटीएम लॉक किए जाने का अनुरोध किया।

६ दिसम्बर २००८ को उसके एटीएम कार्ड से फिर ५५०० रुपये निकाल लिए गए। जब परिवादी ने पैसा निकालने वाले की पहचान करने के लिए वीडियो फुटेज मांगा तो बैंक ने उसे भी दिखाने से इनकार कर दिया।❑